न्यायालय लोकपाल मनरेगा, जिला, वैशाली

वाद सं0 – 01 में पारित आदेश की प्रतिलिपि

69-

दिनांक 15.05.13

यह वाद श्री चन्द्रभूषण कुमार निवासी, ग्राम– रहसा पश्चिम, पो0– भगवानपुर जिला– वैशाली के दिनांक 02.02.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है।

ग्राम पंचायत करहरी की मनरेगा योजना 2009–12 में सरकार के दिशा निर्देश के विरूद्ध योजनाओं का चयन एवं निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने के संबंध में था।

शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना था कि कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गयी है। कार्य में गुणवत्ता का अभाव है। फर्जी कामगारों के नाम पर कार्य दिखलाकर गलत ढंग से राशि का बंदरबाँट किया गया है। पंचायत स्तर पर कार्य में गोपनीयता बरती जाती है जिससे जानकारी नहीं मिल पाती है। वृक्षारोपण में सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर राशि का बंदरबाँट किया गया है। नाला, पुलिया एवं कुँआ मरम्मत के मानक में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। चबुतरा एवं मिट्टी कार्य ट्रैक्टर द्वारा किया गया है इत्यादि।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के सन्दर्भ में श्री राकेश कुमार, सहायक अभियंता, मनरेगा, वैशाली से स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया।

परन्तु योजनाओं की लम्बी सूची के कारण शिकायतकर्त्ता ने केवल वृक्षारोपण एवं मिट्टी भराई योजना का जाँच करने का आग्रह किया। अतः सहायक अभियंता द्वारा वृक्षारोपण योजना की जाँच प्रतिवेदन दी गयी जिसमें योजना संख्या 02/09.2010से 31/09–10 कुल 30 योजनाओं में जीवित पौधों की संख्या लगभग शून्य पायी गयी। योजना संख्या 01/11–12, 02/11–12 तथा 03/11–12 में क्रमशः 40,112 और 85 पौधे ही जीवित अवस्था में पाये गये। यह जाँच प्रतिवेदन छः पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

दूसरी और शिकायतकर्त्ता द्वारा अपने शिकायत– पत्र के संदर्भ में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 22.04.13 को शिकायतकर्त्ता द्वारा अपना शिकायत वापस होने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। आवेदन में शिकायतकर्त्ता द्वारा स्थल भ्रमण के दौरान कार्य से संतुष्ट होकर शिकायत वापस लेने की बात कही है।

सहायक अभियंता द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित योजना संख्या–01/11–12, 02/11–12 तथा 03/11–12 में मृत पौधों के संबंध में वर्तमान रोजगार सेवक द्वारा दिनांक 22.04.13 को प्रतिवेदित किया गया कि सभी मृत पौधों को बदल दिया गया हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाय।

सहायक अभियंता द्वारा प्रतिवेदन में वृक्षारोपण की योजना संख्या 02/09–10 से 31.09.10 की कुल 30 योजनाओं में उपलब्धता शून्य पाया गया। अतः उक्त योजनाओं से संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, श्री अजीत कुमार उपाध्याय (वर्तमान कार्यरत ग्राम पंचायत–जहाँगीरपुर पटेढ़ा) मुखिया (पूर्व) मो0 मोती उर्रश्मान एवं पंचायत तकनीकी सहायक, श्री धमेन्द्र कुमार को उपस्थित होने का आदेश दिया गया। पंचायत रोजगार सेवक, श्री अजीत कुमार उपाध्याय द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि वृक्षारोपण की कुल 30 योजनाँए शुरू की गयी थी। उक्त कार्य हेतु मुखियाजी द्वारा अग्रिम राशि प्राप्त किया गया था। जो वनपोषक आदि पर खर्च की गयी। फिर प्रथम अग्रिम राशि व्यय होने के उपरान्त आगे की मजदूरी हेतु मुखियाजी द्वारा ससमय दूसरी अग्रिम राशि प्राप्त नहीं होने के कारण वनपोषक कार्य छोड़ दिए और पौधे सूख गये।

उक्त वृक्षारोपण की योजनाओं के संबंध में मुखिया (पूर्व) मो0 मोती उर्रहमान द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है। कि उनके पंचायत में वृक्षारोपण नहीं हुआ था। मैंने दो लाख पच्चीस हजार का चेक पंचायत रोजगार सेवक के नाम से काटा था (प्रति योजना 7500/ रूपया अर्थात् 30 योजना हेतु 2,25,000/–) उसके बाद फिर चेक देने के लिए कह रहे थे। तो हम बोले की दो लाख पच्चीस हजार का पहले पेड़ तो लगाइए उसके बाद चेक देंगें। लेकिन फिर भी उनके द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया। जिसकी शिकायत उन्होंने दिनांक 16.02.2011 को उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर से भी किया था, कि उक्त 225000/– का हिसाब अभी तक अप्राप्त है।

पंचायत तकनीकी सहायक, श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त वृक्षारोपण योजना के कार्यस्थल का निरीक्षण कर मापी पुस्तिका में ससमय मापी दर्ज की गयी है।

पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवेश कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि दिनांक 31.03.10 को श्री अजीत कुमार उपाध्याय से करहरी पंचायत रोजगार सेवक के रूप में मैंने प्रभार लिया था। उस समय वृक्ष की स्थिति काफी दयनीय थी। लगभग 10 प्रतिशत वृक्ष पाये गये थे। उन्होने यह भी लिखा

है कि उस समय जो वृक्षारोपण संबंधी अभिलेख प्राप्त हुए उसमें उस समय के मुखिया का अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं था साथ ही योजना पंजी पर भी हस्ताक्षर नहीं था।

पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा सम्पन्न किया हुआ, जो मापी पुस्तिका की प्रति सौंपी गयी है। वह कनीय अभियंता मनरेगा द्वारा प्रमाणित नहीं है, सहायक अभियंता, मनरेगा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन मुखिया(पूर्व) मो0 मोती उर्रहमान के स्पष्टीकरण एवं पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवेश कुमार द्वारा जो अभिलेख प्राप्त हुए है। उससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 की कुल 30 योजनाओं में व्यय की गयी राशि 225000/– का अनियमित रूप से दुरूपयोग किया गया है।

अतः निदेश दिया जाता है कि असमायोजित राशि 225000/– की एक तिहाई राशि 75000/–श्री अजीत कुमार उपाध्याय, वर्तमान पंचायत रोजगार सेवक, जहॉगीरपुर पटेढा दूसरी तिहाई राशि 75000/–मो0 मोती उर्रहमान (पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत करहरी, प्रखण्ड– भगवानपुर जिला– वैशाली) तथा शेष तिहाई राशि 75000/– श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्तमान पंचायत तकनीकी सहायक प्रखण्ड , भगवानपुर एक सप्ताह के अन्दर उप विकास आयुक्त के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर (वैशाली) करेंगें। निर्णायक अवधि बीतने के पश्चात् अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस बाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 537 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 17-5-13

प्रतिलिपिः श्री अजीत कुमार उपाध्याय, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत –जहॉगीरपुर पटेढ़ा , प्रखण्ड– भगवानपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। मो0 मोती उर्रहमान, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत करहरी, प्रखण्ड– भगवानपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। श्री धर्मेन्द्र कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत करहरी, प्रखण्ड– भगवानपुर, जिला– वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत करहरी को सूचनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, भगवानपुर को सूचनार्थ एवं निदेश है कि संबंधित व्यक्तियों को पत्र का तामिला कराते हुए उक्त राशि को कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 537 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 17-5-13

प्रतिलिपिः श्री चन्द्रभूषण कुमार, ग्राम– रहसा(पश्चिम) पो0– भगवानपुर जिला– वैशाली को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।

ज्ञापांक 537 /मनरेगा, वैशाली दिनांक 17-5-13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ, जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सूचनार्थ, उप विकास आयुक्त , वैशाली को सूचनार्थ ।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।